राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प. 24(1)प्र0सु0/सम0/अनु–1/2015 जयपुर, दिनांकः 7.10.2015

परिपत्र

राजकीय भवनों के शिलान्यास या उद्‌घाटन समारोह माननीय मंत्रीगण या जनप्रतिनिधियों से ही संपादित कराये जाने एवं अधिकारीगण द्वारा इस प्रकार के कार्य संपादित नहीं करने एवं माननीय सांसदों/विधायकों को उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न राजकीय समारोहों एवं बैठकों में आमंत्रित किये जाने व उनके साथ संपर्क के दौरान शिष्टता और सम्मानजनक व्यवहार करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 19(16)प्र.सु./अनु–1/सम./95 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, एवं परिपत्र सं. प.10(2)प्र.सु./सम./अनु–1/1996 दिनांक 19.07.2001, 12.09.2005 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये हुये हैं तथा कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प.4(6)कार्मिक/क–3/1978 दिनांक 30.04.2007 द्वारा निर्देशों की पालना नहीं करने से संबंधित अधिकारीगण के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनिक कार्यवाही के लिए व्यादिष्ट किया हुआ है।

उक्त संदर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में, विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रमों व राजकीय समारोहों में अधिकारीगण साफा/माला नहीं पहनें।
2. राजकीय भवनों, कार्यक्रमों के शिलान्यास/उद्‌घाटन एवं लोकार्पण आदि के कार्य जनप्रतिनिधियों से ही सम्पन्न करायें जावें। अधिकारीगण इनके शिलान्यास, उद्‌घाटन या लोकार्पण नहीं करें और न ही शिलालेखों पर अपना नाम अंकित करावें।
3. जिन राजकीय कार्यों को (विकास आदि से सबंधित) क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे में अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें व कोई आश्वासन भी न देवें।

सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की सभी स्तरों पर पालन सुनिश्चित की जावें।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजकीय उपक्रम/निगम/बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं,राजस्थान।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग को अतिरिक्त प्रति सहित प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. रक्षित। पत्रावली

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव